तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
11/1/17	वकील वादी उपस्थित। पक्षकार ... को दिनांक 23.6.17 को राजीनामा ... पेश ... पेश किया ... अवलोकन किया गया ... तलबी जारी कर पत्रावली दिनांक 5.3.18 को पेश हो। SDOK	29462 28.6.18
6.3.18	5.3.18 का धु० अवकाश होने कारण पत्रावली 6.3.18 को पेश हुई वकील वादी उपस्थित। सम्बन्ध आदेश दिनांक 8/5/17 की पालना में ... तलबी ... दिनांक 7/5/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	CAmmo 23/1 11-6-18
7/5/18	प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत/... में ... योग्य पाया जाता है। अत: पत्रावली लोक अदालत में ... कैम्प ... दिनांक 29.6.18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
29.6.18	पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील उपस्थित। ... वादी PW1 PW2, PW3 सुरेश मंगल, शिवराज सिंह, दिनेश के शपथ पत्र ... प्रस्तुत किए गए बहस सुनी गई। पत्रावली अवलोकन किया गया ... वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय ... किया गया ... पत्रावली फैसल शुमार होकर ... दाखिल दफ्तर हो। सुनाया SDOK	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/ 56/17

बउनवान

1. मंगल पुत्र मनोहरलाल जाति जांगिड
2. रामानन्द पुत्र मनोहरलाल जाति जांगिड
3. दयाराम पुत्र मनोहरलाल जाति जांगिड निवासीयान ग्राम कल्याणपुर तहसील कठूमर जिला अलवर

—— वादीगण

बनाम

1. धनश्याम पुत्र बद्री जाति ब्राहमण निवासी रामपुरापाटन तहसील कठूमर

—— प्रतिवादी

2. परमानन्द पुत्र रामकिशन जाति ब्राहमण
3. शम्भू पुत्र राधाकिशन जाति ब्राहमण
4. औमी पुत्र राधाकिशन जाति ब्राहमण
5. पप्पू पुत्र राधाकिशन जाति ब्राहमण
6. रामेश्वर पुत्र रामचन्द जाति ब्राहमण
7. रतन पुत्र रामचन्द जाति ब्राहमण
8. शम्भू पि0मु0 छाजूराम जाति ब्राहमण निवासीयान ग्राम कल्याणपुर तहसील कठूमर
9. श्रीचन्द पुत्र भौंरया जाति मीना निवासी उदयपुरा
10. रमेश पुत्र नारायण जाति मीना निवासी उदयपुरा
11. रामफूल पुत्र नारायण जाति मीना निवासी उदयपुरा
12. रामेश्वर पुत्र नारायण जाति मीना निवासी उदयपुरा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर(अलवर)

Scanned by CamScanner

13. रामजीलाल पुत्र नारायण जाति मीना निवासी उदयपुरा
तहसील कठूमर जिला अलवर

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री महेन्द्रसिंह राजपूत :– अधिवक्ता वादीगण

पैराकार सरकार – प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 29.06.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 313 रकवा 0.98 हे. 311 रकवा 1.70 हे. ग्राम रामपुरापाटन तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी असल प्रतिवादी धनश्यामक के पिता बद्री पुत्र हट्टी व लक्ष्मीनारायण पि0मु0 प्रसादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। लक्ष्मीनारायण की शादी नहीं हुई थी। परसादी, बद्री व लक्ष्मीनारायण का चाचा लगता था। जिस परसादी के कोई वारिस नहीं होने के कारण प्रसादी ने अपने जीवनकाल में ही लक्ष्मीनारायण को गोद ले लिया। प्रसादी की मृत्यु के वाद लक्ष्मीनारायण उसका वारिस बना। परसादी की समस्त चल अचल सम्पत्ति लक्ष्मीनारायण की हो गयी। हट्टी के भी दो पुत्र बद्री व लक्ष्मीनारायण थे। जिन हट्टी का एक मात्र वारिस बद्री रह गया। जिस कारण हट्टी की मृत्यु के वाद उसकी चल अचल सम्पत्ति बद्री के नाम हो गयी। लक्ष्मीनरायण बदी के साथ रहता था। लक्ष्मीनारायण द्वारा अपनी चल अचल सम्पत्ति का बद्री को मुख्तारनामा आम बना रखा था और खसरा नम्बर 311–313 को बद्री को दे रखा था। बद्री दोनों खसरा नम्बरान पर काविज रहकर काश्त करता था। खसरा नम्बर 311 के 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 313 का 1/2 हिस्सा का वयनामा दिनांक 17.07.79 को बद्री पुत्र हट्टी द्वारा लक्ष्मीनारायण के मुख्तारनामा आम की हैसियत से 5000 रूपया नकद प्राप्त कर श्री मनोहरलाल पुत्र जमनालाल जांगिड ब्राहमण निवासी खैडाकल्याणपुर को रजिस्टर्ड वयनामा द्वारा विक्रय कर दी। वक्त वयनामा से ही मनोहरलाल उकत आराजी पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। मनोहरलाल का स्वर्गवास हो गया। मनोहरलाल के फौत हो जाने पर उक्त आराजी पर वादीगण काविज रहकर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

काश्त करते चले आ रहे है। बद्री खसरा नम्बर 313 का 1/4 हिस्से का 311 के 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार था परन्तु वयनामा कराये जाने के वक्त केवल बद्री ही मौजूद था और वयनामा लक्ष्मीनारायण क्षरा बद्री को मुख्तारनामा आम का हवाला दे रखा था इसलिए लक्ष्मीनारायण की सहमति तथा मुख्तारनामा आम के आधार पर बद्री ने ही अपने हस्ताक्षर कर वयनामा तस्दीक करा दिया जिस कारण उक्त वयनामा पर लक्ष्मीनारायण के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण वयनामा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 269 दर्ज कर दिया। लेकिन वयनामा पर लक्ष्मीनारायण के हस्ताक्षर न होने की वजह से वादी के पिता मनोहरलाल के नाम दर्ज नहीं हो सका। और विवादित आराजी पर लक्ष्मीनारायण का नाम खातेदारी के रूप में चलता रहा। लक्ष्मीनारायण के फौत होने पर मृतक बद्री के पुत्र धनश्याम को वारिस मानते हुये उक्त आराजी का धनश्याम के नाम नामान्तकरण दर्ज हो गया और वर्तमान में विवादित आराजी खिलाफ मौका व खिलाफ कानून राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से इन्द्राज दुरूस्ती वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया व हाल राजस्व रेंकार्ड के आधार पर प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी से वादीगण को वेदखल कर खुद कबजा करने व रहन वय करने की धमकी दी है। अतः वादीगण ने दावा मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया। वादी के निवेदन पर प्रतिवादी संख्या 2 ला0 13 की तलवी दिनांक 15.09.2017 को बन्द की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 16.05.2017 को वाद वादीगण के तथ्यों को स्वीकार करते हुये इकवाल जवाव पेश किया है।

वहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 ने दावा वादीगण के तथ्यों को स्वीकार किया है व पक्षकारान के मध्य आपस में विवादित आराजी वावत राजीनामा हुआ है जो राजीनामा दिनांक 27.06.2017 को पत्रावली पर पूर्व में पेश कर दिया है। अतः दावा वादीगण मुताविक अनुतोष डिक्री किया जावे।

वादीगण ने अपने दावा के साथ वयनामा दिनांक 17.07.1979 नामान्तकरण संख्या 269 नकल जमाबन्दी हाल वाके ग्राम रामपुरापाटन की पेश की है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी स्वंय मंगल, गवाह शिवराम व गवाह दिनेश के शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किये है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड, राजीनामा ईकवाल जवाव का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की वहस पर मनन किया। पत्रावली पर पूर्व में प्रस्तुत राजीनामा तहरीरी दिनांक 27.06.2017 को उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण ने दिनांक 29.06.2017 को तस्दीक कराया है। जिस राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी धनश्याम ने आराजी खसरा नम्बर हाल 313 रकवा 0.98 हे. के 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 311 रकवा 1.70 हे. वाके ग्राम रामपुरापाटन का 1/4 हिस्सा को वादीगण के पिता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीदना व वक्त वयनामा से वादीगण का कब्जा होना स्वीकार किया व वाद वादीगण डिक्री किये जाने की सहमति प्रदान की गयी। प्रतिवादी धनश्याम ने हाजिर अदालत होकर अपना ईकवाल जवाव पेश कर पत्रावली के तथ्यों को स्वीकार कर वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड राजीनामा ईकवाल जवाव के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की वहस पर मनन कर दावा वादीगण सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण घोषणात्मक डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 313 रकवा 0.98 हे. के 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 311 रकवा 1.70 हे. के 1/8 हिस्से वाके ग्राम रामपुरापाटन तहसील कठूमर वावत हाल राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करें। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 29.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/ 56 /18

बउनवान

1. मंगल पुत्र मनोहरलाल जाति जांगिड
2. रामानन्द पुत्र मनोहरलाल जाति जांगिड
3. दयाराम पुत्र मनोहरलाल जाति जांगिड निवासीयान ग्राम कल्याणपुर तहसील कठूमर जिला अलवर

—— डिक्रीदार

बनाम

1. धनश्याम पुत्र बद्री जाति ब्राहमण निवासी रामपुरापाटन तहसील कठूमर

मदयून

2. परमानन्द पुत्र रामकिशन जाति ब्राहमण
3. शम्भू पुत्र राधाकिशन जाति ब्राहमण
4. औमी पुत्र राधाकिशन जाति ब्राहमण
5. पप्पू पुत्र राधाकिशन जाति ब्राहमण
6. रामेश्वर पुत्र रामचन्द जाति ब्राहमण
7. रतन पुत्र रामचन्द जाति ब्राहमण
8. शम्भू पि0मु0 छाजूराम जाति ब्राहमण निवासीयान ग्राम कल्याणपुर तहसील कठूमर
9. श्रीचन्द पुत्र भौंरया जाति मीना निवासी उदयपुरा
10. रमेश पुत्र नारायण जाति मीना निवासी उदयपुरा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

11. रामफूल पुत्र नारायण जाति मीना निवासी उदयपुरा

12. रामेश्वर पुत्र नारायण जाति मीना निवासी उदयपुरा

13. रामजीलाल पुत्र नारायण जाति मीना निवासी उदयपुरा

तहसील कठूमर जिला अलवर

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादीगण घोषणात्मक डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 313 रकवा 0.98 हे. के 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 311 रकवा 1.70 हे. के 1/8 हिस्से वाके ग्राम रामपुरापाटन तहसील कठूमर वावत हाल राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करें।

आज दिनांक 29.06.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner